कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,सहारनपुर।

क्षे0प्र0/स0पुर/सं0परि0भर्ती/मु0प्र04723–03.08.18 पत्रांक 1424 दिनांकः– 16.08.2018

–:कार्यालय ज्ञापः–

निगम मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक 03.08.2018 के अनुक्रम में सहारनपुर क्षेत्र में कुल 333 संविदा परिचालकों की आबद्धीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत जैसा कि दिनांक 06.08.2018 से 14.08.2018 तक ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये थे, उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में निम्नवत् आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुये सेवाप्रदाता कम्पनी द्वारा सूचियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी हैः–

सामान्य जाति वर्ग में प्राप्त आवेदन	3415
अन्य पिछड़ा जाति वर्ग में प्राप्त आवेदन	9993
अनुसूचित जाति वर्ग में प्राप्त आवेदन	6079
अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्राप्त आवेदन	155
योग	**19642**

आबद्धीकरण प्रक्रिया के आगामी सम्पादन के अनुक्रम में आज दिनांक 16.08.2018 को इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समिति की बैठक के समक्ष श्रेष्ठता क्रम में सूचियां प्रस्तुत किये जाने पर इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंकों के अनुसार श्रेष्ठता क्रम एवं अनुमन्य रिक्तियां क्रमश **सामान्य वर्ग मेंः–159, अन्य पिछड़ा वर्ग मेंः–85, अनुसूचित जाति वर्ग मेंः–66, अनुसूचित जनजाति वर्ग मेंः–23** की स्थिति का संज्ञान लेते हुये समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्ट्या प्रथम 07 श्रेणियों के अतिरिक्त आवेदकों को छोड़ते हुये **सामान्य वर्ग केः–159, अन्य पिछड़ा वर्ग केः–170, अनुसूचित जाति वर्ग केः–132, अनुसूचित जनजाति वर्ग केः–46** आवेदकों को डॉक्यूमैंट वैरिफिकेशन हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय में बुलाया जाये।

समिति का यह भी मत स्थिर हुआ कि उपरोक्तानुसार सूचीबद्ध आवेदकों को वेबसाईट/नोटिस बोर्ड/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाये कि दिनांक **28.08.2018** तक निम्नाकिंत शार्टलिस्टेड आवेदक किसी भी कार्यदिवस में अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सहित मूल डॉक्यूमैन्ट एवं उनके दो–दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के सेट तथा अपने चार–चार पासपोर्ट फोटों व आधार कार्ड लेकर इस प्रयोजनार्थ गठित एडमिनिस्ट्रियल समिति के समक्ष उपस्थित हों तथा आरक्षण का अथवा इस आधार पर आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले आवेदक अपना जाति प्रमाण पत्र भी मूल रूप में अवश्य साथ लायें। इस प्रयोजनार्थ दिनांक **28.08.2018** की तिथि अन्तिम तिथि समझी जायेगी व इसके उपरान्त किसी भी आवेदक को अवसर दिया जाना सामान्य परिस्थितियों में सम्भव नही होगा।

अतः एतद् द्वारा दिनांक 06.08.2018 से 14.08.2018 तक की अवधि के ऑनलाईन आवेदकगणों को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञाप में संवर्गवार उल्लिखित किये जा रहे नामवार सूचियों के अनुसार वह दिनांक 28.08.2018 अथवा उससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में **कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गिल कॉलौनी, निकट नारायण मन्दिर, सहारनपुर** में अपने समस्त मूल अभिलेखों एवं उपरोक्तानुसार उनके दो–दो स्वप्रमाणित फोटों

प्रतियों के सैट व चार–चार फोटोज, बैंक खाता पास बुक, खाता संख्या व प्रतिभूति धनराशि के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। क्रमशः..........**2**

आबद्धीकरण श्रेष्ठता क्रम में प्रत्येक संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप ही किया जाना सम्भव होगा तथा इस आमन्त्रण के अनुक्रम में सम्बन्धित को अनिवार्य रूप से आबद्ध करने की परिवहन निगम की कोई प्रतिबद्धता नही होगी व इस प्रयोजनार्थ यात्रा व्यय आदि भी आवेदक को स्वयं वहन करना होगा। सम्बन्धित के श्रेष्ठता क्रम/रिक्तियों के अनुसार पात्र पाये जाने पर एडमिन्सट्रियल समिति की संस्तुति अनुसार सम्बन्धित को इस कार्यालय में उपस्थित होने के आगामी दिवस से क्षेत्र के किसी भी डिपो में प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाना नियोजित है। अतः कार्य करने की पूरी तैयारी के साथ आएं।

अतः सम्बन्धित पूर्ण तैयारी एवं प्रतिभूति धनराशि रूपयें **10,000/–(रूपयें दस हजार मात्र)** एवं अपनी बैंक पास बुक व खाता विवरण आदि भी साथ लेकर आयें। परिचालक कार्य हेतु परिचालक लाईसेंस की धारिता भी अनिवार्य है अतः सम्बन्धित यह भी ध्यान रखें कि निगम वाहन पर डयूटी हेतु भेजे जाने से पूर्व सम्बन्धित वैध परिचालक लाईसेंस का भी धारक हो।

प्रथम चरण में बुलाये जा रहे आवेदकों की संवर्गवार सूचियां संलग्न हैः–

वर्ग	क्रंमाक	कुल पेज
सामान्य जाति वर्ग की सूची	01 से 159 तक	12
अन्य पिछड़ा जाति वर्ग की सूची	01 से 170 तक	13
अनुसूचित जाति वर्ग की सूची	01 से 132 तक	10
अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची	01 से 46 तक	04

(मनोज कुमार)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर प्रबन्ध निदेशक, महोदय परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

2– मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन),परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

3– प्रधान प्रबन्धक(कार्मिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

4– प्रधान प्रबन्धक(आई0टी0),परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इस ज्ञाप एवं संलग्न सूचियों को निगम की वैबसाइट पर लोड करने का कष्ट करे।

5– जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से कि सहारनपुर एवं अन्य स्थानों के समाचारपत्रों में उक्त कार्यालय ज्ञाप प्रकाशित कराना चाहें।

6– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति आप अपने बस स्टेशनों/डिपो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः..........**3**

7— मैसर्स आयुषी कम्प्यूटर्स प्रा0लि0, बी—112, सरस्वती मार्ग, बजाज नगर, जयपुर को इस आशय से कि संलग्न कार्यालय ज्ञाप मे वर्णित निर्देशों को परिवहन निगम की वेबसाईट पर लोड करने के साथ ऑनलाईन आवेदकों को उनके ई—मेल आईडी व एस एम एस द्वारा निम्न संदेश तत्काल प्रेषित करेः— ''निगम की वैब साइट www.upsrtc.com चैक करे एवं तद्नुसार रिपोर्ट करे''। संदेश की पावती पुष्टि शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को भेजे।

8— नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर।

(मनोज कुमार)
क्षेत्रीय प्रबन्धक